

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर (छ0ग0)


Email - deonpr74@gmail.com Telefon - 07781-299218

स्थानीय अतिथि शिक्षकों हेतु प्रेस विज्ञप्ति

क्रमांक 13343/जि0शि0अ0/स्था.02/स्था.अ.शि./2023

नारायणपुर, दिनांक 14/07/2023

कलेक्टर महोदय जिला नारायणपुर के निर्देश दिनांक 25.05.2023 एवं अनुमोदन दिनांक 14.07.2023 के अनुसार जिले में संचालित शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में व्याख्याता के 27 रिक्त पदों पर जिला खनिज न्यास निधी मद से स्थानीय अतिथि शिक्षक के रूप में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदाय कर शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था में सुधार लाये जाने हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर प्राचार्य, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल, जिला नारायणपुर के नाम से प्रस्तुत कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र अंतिम तिथि दिनांक 20/07/2023 शाम 4:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। पदों का विवरण, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रारूप एवं अन्य विवरण नारायणपुर जिले के वेबसाइट www.narayanpur.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला - नारायणपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर (छ0ग0)

Email - deonpr74@gmail.com Telefon - 07781-299218

स्थानीय अतिथि शिक्षकों हेतु प्रेस विज्ञापित

क्रमांक 6344/जि0शि0अ0/स्था.02/स्था.अ.शि./2023

नारायणपुर, दिनांक 14/07/2023

कलेक्टर महोदय जिला नारायणपुर के निर्देश दिनांक 25.05.2023 एवं अनुमोदन दिनांक 14.07.2023 के अनुसार जिले में संचालित शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में व्याख्याता के 26 रिक्त पदों पर जिला खनिज न्यास निधी मद से स्थानीय अतिथि शिक्षक के रूप में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदाय कर शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था में सुधार लाये जाने हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर प्राचार्य, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल, जिला नारायणपुर के नाम से संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र अंतिम तिथि दिनांक 20/07/2023 शाम 4:30 बजे तक होगी। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। विज्ञापित पत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	शाला का स्तर	विषयवार विवरण											
		भौतिक	रसायन	विज्ञान	गणित	अंग्रेजी	संस्कृत	हिन्दी	इतिहास	भूगोल	अर्थशास्त्र	कला	योग
1	हाईस्कूल	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	3	18
2	हायर सेकेण्डरी	3	1	0	0	0	2	0	1	1	1	0	9
योग:-		3	1	3	3	3	5	3	1	1	1	3	27

स्थानीय अतिथि शिक्षक की शैक्षिक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :-

1. अतिथि शिक्षक व्यवस्था :- यह शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी। संस्था में पद रिक्तता की स्थिति में नारायणपुर जिले के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जावे। अन्य जिले के निवासी का स्थानीय अतिथि शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र अमान्य होगा। योग्य अभ्यर्थी स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु पद रिक्त वाले विषय पर चयन हेतु आवेदन पत्र संस्था में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।
3. शैक्षणिक योग्यता :- हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी हेतु संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। बी.एड./डी.एड./डी.एल.एड. उत्तीर्ण को प्राथमिकता।
3. स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु वरीयता क्रम :-
 - 3.1 सर्व प्रथम जिले के स्थानीय अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा पूर्व में सेवायें उसी संस्था/जिले में दी गई हो, तो उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। एवं विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग को प्राथमिकता दी जावेगी।
नोट - पूर्व सत्र 2022-23 में अध्यापन कार्य करवा रहे विषय में संलग्न संस्थावार रिक्त पद सूची में पूर्व सत्र का अध्यापन पद रिक्त होने की स्थिति में।
 - 3.2 तत्पश्चात् स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम ग्राम/ग्राम पंचायत/विकासखण्ड/जिला के आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
 - 3.3 एक ही ग्राम/ग्राम पंचायत/विकासखण्ड/जिला से दो या दो से अधिक आवेदन उपलब्ध होने की स्थिति में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के मेरिट को आधार माना जावे।
 - 3.4 इनमें से किसी भी परिस्थिति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले हितग्राही को प्राथमिकता देंगे।
 - 3.5 निर्धारित शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता के अभ्यर्थी प्राप्त न होने पर उपरोक्त अहर्ताओं में शिथिलता दी जा सकती है।
4. मानदेय :- हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय रुपये 12,000/- मासिक। इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात् संबंधित प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। संस्था प्रमुख द्वारा एक पंजी पृथक से संधारित की जाएगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के वेतन देयक पत्रक के आधार पर ही

होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।
अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

शिक्षण अवधि :- माह - अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 तक ही होगी।

8.

9.

6.1

स्थानीय अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था हैं। अतः किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति / पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जावेंगे, संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा दी जावेगी। साथ ही स्थानीय अतिथि शिक्षक द्वारा किसी प्रकार से पुनः कार्य पर लेने की मांग नहीं करेंगे। संस्था प्रमुख स्थानीय अतिथि शिक्षकों को अवगत करायेगें।

6.2

शाला में स्थानीय अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित व्याख्याता के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी। यह व्यवस्था एक शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक मान्य होगा एवं संलग्न विद्यालय सूची अनुसार ही स्थानीय अतिथि शिक्षक की सेवा ली जावें।

6.3

स्थानीय अतिथि शिक्षकों की शैक्षिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा बिना कारण बताये समाप्त कि जा सकती है।

6.4

स्थानीय अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहभागी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे। विवाद के स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।


6.5

स्थानीय अतिथि शिक्षक की सेवा लिये जाने हेतु जारी रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
निरीक्षण :- संबंधित प्राचार्य डाईट, नारायणपुर जिला मिशन समन्वयक, विकासखण्ड अधिकारी, संकुल प्रभारी प्राचार्य, खण्ड स्रोत समन्वयक, द्वारा पाक्षिक निरीक्षण/अवलोकन रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करावें। जिसमें उनके कार्यों की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख हों।

7

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



जिला शिक्षा अधिकारी
जिला नारायणपुर

नारायणपुर, दिनांक 14/07/2023

पृ0कमांक 13345/जि0शि0अ0/स्था.02/स्था.अ.शि./2023


प्रतिलिपी :-

12. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
13. कलेक्टर, जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
15. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
16. प्रभारी अधिकारी, जिला खनिज न्यास जिला नारायणपुर को सूचनार्थ।
17. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला नारायणपुर को सूचनार्थ।
18. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
19. जिला मिशन समन्वयक, (रा.गा.शि.मि.), जिला नारायणपुर को सूचनार्थ।
20. समस्त प्राचार्य, शास.हाई/हा0से0 स्कूल.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
21. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड नारायणपुर/ओरछा को सूचनार्थ।
22. सर्व शाला प्रबंधन एवं विकास समिति हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी जिला नारायणपुर को सूचनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला नारायणपुर

हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों में अतिरिक्त आवश्यकता स्थानीय अतिथि शिक्षकों के लिए मांग (सत्र-2023-24)

क्र.	विकासखण्ड	संस्था	विषय													
			भौतिक	रसायन	अंग्रेजी	गणित	विज्ञान	अर्थशास्त्र	भूगोल	संस्कृत	हिन्दी	सामाजिक विज्ञान	इतिहास	कला	योग	
1	नारायणपुर	शा0कन्या शिक्षा परिसर गरांजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	नारायणपुर	शा0उ0मा0वि0रेमावण्ड	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	ओरछा	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय ओरछा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	ओरछा	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय कोहकामेटा	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
5	नारायणपुर	शा0उ0मा0वि0 जम्हरी (हाईस्कूल से हायर सेकण्डरी में नवीन उन्नयन शाला)	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
6	नारायणपुर	शा0हाईस्कूल सोनपुर, (माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में नवीन उन्नयन शाला)	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	
7	नारायणपुर	शा0हाईस्कूल कन्हारगांव, (सुलेंगा,धौडाई) (माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में नवीन उन्नयन शाला)	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	
8	नारायणपुर	शा0हाईस्कूल सुलेंगा, (धौडाई) (माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में नवीन उन्नयन शाला)	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	
कुलयोग:-			3	1	3	3	3	1	1	5	3	0	1	3	27	


 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला - नारायणपुर

13. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सूची :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

// घोषणा पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है, इनमें कोई जानकारी गलत/असत्य पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में विज्ञापन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा बिना बताए मेरे आवेदन को निरस्त करते हुये/ली जा रही सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक -

स्थान -

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पूर्ण पता)

नाम -

पता -

.....